संख्या-95/**2026/113** के-**2/22-3-2025-17(253)/2025**

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल, **2026**

विषय:- केन्द्रीय कारगार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पन्नेलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, निवासी जनपद-गोरखपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-**3591/**प्रोवेशन-**3**-फार्म-ए/(एम-**21.01.2025)** दिनांक-**28**.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारगार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पन्नेलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, जो ग्राम रानी राजधानी, थाना-झगहा, जनपद–गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 14.11.2003 को पैसे के लेन-देन से सम्बन्धित रंजिश के कारण अभियुक्त ने वादी के 07 वर्षीय पुत्र को सेन्ट जांस स्कूल, बैतालपुर से निकलने के बाद अपहरण कर नदी में डुबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364, 201, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-05, देवरिया के आदेश दिनांक 21-12-2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.05.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15.11.2024 तक 21 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 39 वर्ष, 0**5** माह, 25 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 14.11.2003 को पैसे के लेन-देन से सम्बन्धित रंजिश के कारण अभियुक्त ने वादी के 07 वर्षीय पुत्र को सेन्ट जांस स्कूल, बैतालपुर से निकलने के बाद अपहरण कर नदी में डुबाकर हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-**1938** की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी पन्नेलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारगार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पन्नेलाल **(**बन्दी संख्या-**394/2007)** पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, निवासी जनपद-गोरखपुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू**0**पी**0** प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, **1938** की धारा-**2** के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारगार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा**0** उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका **(**क्रिमि**0)** संख्या-**529/2021** सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि**0)** संख्या-**04/2021** पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक **10.09.2024** को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा**0** मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ**0**प्र**0** शासन को मा**0** मंत्री जी को सूचनार्थ

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2,** उ**0**प्र**0** शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-95/**2026/113** के-**2/22-3-2025-17(253)/2025**

दिनांक- 06 अप्रैल, **2026** का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारगार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पन्नेलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, जो ग्राम रानी राजधानी, थाना-झगहा, जनपद–गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 14.11.2003 को पैसे के लेन-देन से सम्बन्धित रंजिश के कारण अभियुक्त ने वादी के 07 वर्षीय पुत्र को सेन्ट जांस स्कूल, बैतालपुर से निकलने के बाद अपहरण कर नदी में डुबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364, 201, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-05, देवरिया के आदेश दिनांक 21-12-2006 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.05.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15.11.2024 तक 21 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 39 वर्ष, 05 माह, 25 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 14.11.2003 को पैसे के लेन-देन से सम्बन्धित रंजिश के कारण अभियुक्त ने वादी के 07 वर्षीय पुत्र को सेन्ट जांस स्कूल, बैतालपुर से निकलने के बाद अपहरण कर नदी में डुबाकर हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-**1938** की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पन्नेलाल पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in